न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 32/2022

प्राथी– — *बनाम* — **अप्राथी–**

राजस्थान सरकार जरिये श्री विपीन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, बाड़मेर

श्री धनाराम जाट पुत्र श्री पन्नाराम जाट निवासी डूंगेरों का तला, तहसील बाड़मेर, बेनिवाल फ्लोर मिल, महाबार रेल्वे क्रॉसिंग, नंबर 4 स्कूल के पास, बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्राथी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्ता अप्राथी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 28.09.2022

1. प्राथी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्राथी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 04.04.2022 को मैसर्स बेनिवाल आटा फ्लोर मिल पर राशन का गेहूं संग्रहित होने की शिकायत पर प्राथी जांच हेतु पहुंचा। मौके पर फर्म पर संग्रहित खाद्यान्न का सत्यापन करने पर राजस्थान खाद्य आपूर्ति निगम मार्क के कुल 7 कट्टे (तीन सील पैक व चार लूज) में वनज पर 350 किलोग्राम गेहूं पाया गया जिसके विषय में पूछताछ पर फर्म परिसर में उपस्थित [illegible] जाट द्वारा सरकारी योजना का गेहूं ग्राहकों से पिसाई हेतु [illegible] किन्तु इस विषय में कोई संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अप्राथी द्वारा [illegible]कृत रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाले गेंहू का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवैध भण्डारण किया जाना प्रतीत होता है, जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 का 2 एवं पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 के क्लॉज 11 के (3)(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त जब्तशुदा गेंहू 350 किलोग्राम मय बारदान राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की आटा चक्की से जब्त गेहूं आस–पडौस के लोगों द्वारा अपने परिवार राशनकार्ड पर उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त किया गया था तथा पिसाई हेतु अप्रार्थी की आटा चक्की पर डाला गया था। तत्समय लाईट की कमी के चलते आटा नहीं पिसा गया जिस कारण दुकान में अधिक गेहूं इकट्ठा हो गया। इस पर प्रार्थी द्वारा बरामद गेहूं के संबंध में गलत आक्षेप लगाते हुए आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा बरामद गेहूं से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा उक्त परिवाद बेबुनियाद व मनगढत होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे तथा अधिग्रहण को वापिस अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के स्वामित्व की फर्म में अनाधिकृत रूप से रखे गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहू पाये जाने पर उक्त गेंहू मौतबिरान के रूबरू जब्त सरकार किये गये है जो वर्तमान में श्री कालूराम उचित मूल्य दुकानदार 16, 17 को रूबरू मौतबीरान सुपुर्दगी में दिये गये हैं। जहां तक अधिवक्ता अप्रार्थी का निरक्षण में अभिकथन है कि अप्रार्थी की आटा चक्की से उक्त ... जब्त किये गये हैं जो कि लोगों द्वारा पिसाई हेतु रखे गये हैं, जबकि 350 किलोग्राम मय बारदाना सात कट्टे विभिन्न व्यक्तियों की ओर से एक साथ पिसाई हेतु दिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का कथन मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 का 2 एवं पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 के क्लॉज 11 के (3)(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय कृत्य है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप जब्तशुदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न 350 किलोग्राम गेंहू को राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लॉज 3 का 2 एवं पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 के क्लॉज 11 के (3)(1) का स्पष्ट उल्लंघन में पाये गये उक्त 350 किलोग्राम गेंहू को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई खाद्यान्न सामग्री 350 किलोग्राम गेंहू को निर्धारित बाजार दर पर विक्रय द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर को पालना एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

5. आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 12:56:36 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर